भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2426
24 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

समुद्री कूड़े-करकट की निगरानी

2426. श्री.संजय सिंह:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के जल निकायों में फेंके जाने वाले कूड़े-करकट की मात्रा के संबंध में ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार की समुद्री निकायों में फेंके जाने वाले कूड़े-करकट को नियंत्रित करने के लिए नीति तैयार करने की योजना है; और
(ग) कार्यान्वयन की अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(**क**) वर्ष 2019-20 में प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन के बारे में CPCB की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रति वर्ष कुल 34,69,780 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से प्रति वर्ष लगभग 15.8 लाख टन कचरे को रिसाइकिल किया जाता है, तथा प्रति वर्ष 1.67 लाख टन कचरे को सीमेंट क्लिन में सह-संसाधित किया जाता है। असंसाधित तथा इधर-उधर फेंके हुए प्लास्टिक कचरे का एक हिस्सा नदी जैसे सतही अपशिष्ट निकायों से होते हुए समुद्र तक पहुंच जाता है। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केन्द्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार भारतीय तट के कुछ चुनिंदा स्थानों पर अनुसंधान करता है, ताकि समुद्र तट, सतही समुद्री जल, तथा समुद्रतल में नियमित रूप से समुद्री कचरे की सही मात्रा पता लगायी जा सके। तटीय क्षेत्रों में समुद्री कचरे का वर्गीकरण करने के लिए अध्ययन किए गए हैं। एक अध्ययन में बड़े एवं मध्यम आकार के मल्टीलेयर स्नैक पैकेट्स, खानपान की वस्तुओं, डिटरजेंट आदि में प्रयोग की जाने वाली मोनोलेयर प्लास्टिक पैकेजिंग, सिंथेटिक वूवेन बैग, तथा पॉलीथीन बैग आदि की जानकारी एकत्रित की गई।

(**ख**) जी**,** हां

(**ग**) राष्ट्रीय समुद्री कचरा नीति के सूत्रीकरण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

i. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 12 अगस्त, 2021 को GSR NO. 571 (E) के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन संशोधन नियम 2021 अधिसूचित किया है, जिसमें कम उपयोगिता तथा कचरा फैलाने की अधिक संभावना वाले पहचाने गए एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को 1 जुलाई 2022 से निषेधित किया है। इन नियमों के अन्तर्गत देश में पचास माइक्रॉन से कम मोटाई वाले कैरी बैग एवं प्लास्टिक शीट के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय एवं उपयोग को निषेधित किया गया है। इसमें गुटखा, तंबाकू तथा पान मसाला के संग्रहण, पैकिंग या विक्रय हेतु प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक सामग्री से बने सैशे को पूर्णतया बैन किया गया है।
ii. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नेदिनांक 21 जनवरी 2019 को सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों तथा मंत्रालयों को "एकल-उपयोग प्लास्टिक हेतु मानक दिशानिर्देश" भी जारी किए थे। चौंतीस राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने प्लास्टिक कैरी बैग तथा/अथवा पहचाने गए एकल-उपयोग प्लास्टिक आइटम पर पूर्ण या आंशिक बैन से सम्बन्धित विनियम पारित करने के लिए अधिसूचनाएं / आदेश जारी किए।

iii. इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 16 फरवरी, 2022 को प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन संशोधन अधिनियम नियम, 2022 के माध्यम से प्लास्टिक पैकेजिंग हेतु एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सबिलिटी (EPR) के संबंध में दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। दिनांक 1 जुलाई 2022 से प्रभावी कम उपयोगिता तथा कचरा फैलाने की अधिक संभावना वाले पहचाने गए एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को निषेधित किए जाने के साथ ही साथ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सबिलिटी सम्बन्धी दिशानिर्देश, देश में इधर-उधर फेंके जाने वाले प्लास्टिक कचरे के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं।

iv. इसके अतिरिक्त कई राष्ट्रीय स्तर कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जिसमें विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक, हितधारक, नीति-निर्माता, उद्योगजगत एवं अकादमिक जगत के विशेषज्ञ शामिल हैं, ताकि राष्ट्रीय समुद्री कचरा नीति को सूत्रीकृत किया जा सके।

v. भारत सरकार ने भी "स्वच्छ भारत अभियान", राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन तथा स्मार्ट सिटी मिशन जैसे विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ किए हैं, ताकि स्वच्छ एवं संवहनीय पर्यावरण तैयार किया जा सके, जिससे समुद्री कचरा नीति में सहायता मिल सके।

*****